छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//अधिसूचना//
—00—

रायपुर, दिनांकः 13/12/2011

क्रमांक एफ 10–15/2011/16:– छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा धारा 9 एवं 13 के प्रावधानों से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एस.ई.जेड.) में स्थित स्थापनाओं को, स्थापना खोलने एवं बंद करने के समय तथा साप्ताहिक बंद दिवस से निम्नांकित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करता है:–

1. किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
2. प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन की सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी।
3. प्रत्येक सेवायुक्त को धारा 11 में उल्लिखित समय के बाद काम करना पड़ा तो उसे इस अतिरिक्त काम के लिए धारा 55 के अनुसार वेतन देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०डी० कुजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

Notification

No. F.no. 10-15/2011/16:- In exercise of powers conferred by Sub-section-2 of Section-3 of Chhattisgarh Shops and Establishments Act 1958 (No. 25 of 1958), the State Government hereby exempt the establishments, established in Special Economic Zone (SEZ) from the provisions of Section-9 and Section-13 from the opening and closing of the establishments and weekly off day subject to following conditions:-

1. No employee shall be called for work more than 48 hours in a week.
2. Every employee shall be allowed a paid weekly holiday.
3. Every employee who had to work after prescribed working hours under Section 11 shall be paid salary according to Section 55 for the additional work.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(K.D. Kunjam)
Dy. Secretary
Government of C.G., Labour Department

पृ0क्रमांक एफ 10–15/2011/16. रायपुर, दिनांक: 13/12/2011

प्रतिलिपि:–

1 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0),

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय,, रायपुर, (छ0ग0),

4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर, (छ0ग0),

5. समस्त कलेक्टर ...., छ0ग0,

6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, (छ0ग0),

7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0),

8. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0),

9. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0), की ओर प्रेषित व लेख हे कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां वि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग.